


12/2/26

12/2/26 को पेश हो

अधिवक्ता अपीलान्त अनु. अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्त
को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में रुक-रुक कर
वार-2 अवधि लगायी गयी, लेकिन इनकी कोर से
कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रकरण में अदेशीता दिनांक 30/1/2025 से अधिवक्ता
अपीलान्त को रेसपो. के रजिस्टर्ड सम्मन पेश करने हेतु निर्देशित
किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त को उक्त निर्देशित कठिनाई
तकमील हेतु पर्याप्त दस्तावेज प्रदान किये गये। इसके बावजूद
अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा पानडुमकर अफिनांत तक न्यायालय
अदेशों की पंजा में रेसपो. के रजि. रडी सम्मन पेश नहीं किये
गये। अतः उक्त प्रा.पत्र अदम हाजरी। अदम पैरवी। अदम
तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल 20 शूमाट
होकर बाद तकमील संख्या से 13 कुम होकर दायिण दफ्तर



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली